राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	1002/2025 प्रियंका बाई मीणा, हैड कांस्टेबल	राजस्थान राज्य जरिये पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी स्कीम, जयपुर एवं अन्य।	20.01.2025	श्री दीपक वर्मा, अभिभाषक एवं श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता
2.	1004/2025 नीरज शर्मा, कांस्टेबल	राजस्थान राज्य जरिये पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी स्कीम, जयपुर एवं अन्य।	20.01.2025	
3.	1005/2025 अनजीत कौर, कांस्टेबल	राजस्थान राज्य जरिये पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी स्कीम, जयपुर एवं अन्य।	20.01.2025	

आदेश की दिनांक : 14.02.2025

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1002/2025 प्रियंका बाई मीणा बनाम राजस्थान राज्य जरिये पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी स्कीम, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हुई थी और दिनांक 09.01.2016 को अपीलार्थी ने कांस्टेबल के पद पर कार्यग्रहण किया। तदुपरांत वर्ष 2002 में अपीलार्थी को हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 28(ए)(बी) के अनुसरण में दिनांक 24.12.2020 को आदेश जारी किया गया। उनका

तर्क है कि आदेश संख्या 25/2020 के आधार पर अपीलार्थी सहायक उप निरीक्षक के पद पर गैलेण्ट्री पदोन्नति के लिये योग्य था। चूंकि अपीलार्थी ने एक गोल्ड पदक राष्ट्रीय खेल वर्ष 2023 में एवं एक गोल्ड पदक (11 ऑल इण्डिया पुलिस आर्चरी चैम्पियनशीप 2022) और एक कांस्य पदक (12 ऑल इण्डिया पुलिस आर्चरी चैम्पियनशीप 2023–24) में जीता है और इस प्रकार अपीलार्थी आदेश संख्या 25/2020 दिनांक 24.12.2020 के आधार पर जिसमें अन्य अभ्यर्थियों को पदोन्नति दी गई है। अपीलार्थी भी पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित रखा गया, जो सेवा नियमों एवं विधि के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को भी हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक के पद पर उक्त पदकों को जीतने के आधार पर गैलेण्ट्री पदोन्नति प्रदान की जावे, जैसे अन्य कार्मिकों को उपरोक्त आधारों पर पदोन्नति प्रदान की गई है।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपीलों में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावें। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

हमने अपीलार्थीगण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। मामलों की वर्तमान परिस्थिति एवं तथ्यों तथा अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलें, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 1002/2025 प्रियंका बाई मीणा बनाम राजस्थान राज्य जरिये पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी स्कीम, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)